टी बोर्ड ★ भारत
(भारत सरकार के अधीन, वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय)
14, बी. टी. एम. सरणी, (ब्रेब्रोर्न रोड) कोलकाता - 700 001,
दूरभाष : 033-2235-1331, वेबसाइट : www.teaboard.gov.in

TEA BOARD ★ INDIA
(Under Govt. of India, Deptt. of Commerce
Ministry of Commerce & Industry)
14, B.T.M. Sarani, (Brabourne Road) Kolkata - 700 001
Tel. : 033 2235-1331, Website : www.teaboard.gov.in

सं. सं. 32(17)/एलसी/2008/भाग-III/ 502

दिनांक: 15 जुलाई, 2024

आदेश

चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के अनुच्छेद 13(3) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, सभी चाय निर्माताओं द्वारा अनिवार्य अनुपालन के लिए निम्नलिखित निदेश जारी किए जाते हैं।

क्र. सं.	विवरण	दार्जिलिंग हिल्स, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सभी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित विनिर्माण इकाइयों के लिए कार्यान्वयन की तिथि	पश्चिम बंगाल और बिहार के दुआर्स और तराई क्षेत्रों में स्थित विनिर्माण इकाइयों के लिए कार्यान्वयन की तिथि
i.	सभी चाय फैक्ट्रियों के लिए हरी पत्तियां तोड़ने/प्राप्त करने की अंतिम तिथि	30 नवंबर, 2024	30 नवंबर, 2024
ii.	सभी इकाइयों के लिए फक्ट्री में हरी पत्ती के प्रसंस्करण की अंतिम तिथि	2 दिसंबर, 2024	2 दिसंबर, 2024
Iii	सभी चाय विनिर्माण इकाइयों द्वारा अपने विनिर्माण संयंत्र बंद करने के संबंध में टी बोर्ड को सूचना/घोषणा करने की अंतिम तिथि	3 दिसंबर, 2024	3 दिसंबर, 2024
iv.	छंटाई, गैपिंग, पैकिंग (सीटीसी एवं ऑर्थोडॉक्स/ग्रीन टी) पूरा करने और पैक की गई चाय को इनवॉइस मार्किंग सहित अधिसूचित पैक चाय भंडारण क्षेत्र में ले जाने की अंतिम तिथि	13 दिसंबर, 2024	13 दिसंबर, 2024 (सीटीसी चाय निर्माण के लिए) 18 दिसंबर, 2024 (ऑर्थोडॉक्स/ग्रीन टी के लिए)

1. निदेश का पालन करने में विफल होने की स्थिति में, बोर्ड द्वारा चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के अनुच्छेद 5 (1) (डी) के अनुसार आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

पृष्ठ-2 पर जारी

INDIA TEA World's Gold Standard · DARJEELING · ASSAM · ASSAM ORTHODOX · NILGIRI · NILGIRI ORTHODOX · KANGRA TEA · DOOARS - TERAI · SIKKIM TEA ORGANIC · TRIPURA TEA

यदि आप अपना पत्र हिन्दी में लिखेंगें तो उतनी ही जल्दी जवाब मिलेगा, जितना कि अंग्रेजी में लिखने से मिलता है।

2. यह आदेश दिनांक 26-09-2018 को आयोजित बोर्ड की 237वीं बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर जारी किया गया है।

3. जिन बागानों ने पारंपरिक विधि के अलावा छंटाई/अन्य खेती के तरीके अपनाए हैं और जल्दी फसल की उम्मीद करते हैं/साथ ही ऑर्थोडॉक्स, हरी और विशेष चाय के उत्पादक बोर्ड के संबंधित कार्यालय से छूट मांग सकते हैं। हालाँकि, यह आदेश काफी पहले जारी किया जाता है ताकि चाय बागान और चाय फैक्ट्रियाँ तदनुसार योजना बना सकें।

4. बोर्ड के अधिकारी जो सहायक निदेशक चाय विकास के पद से नीचे नहीं हैं, वे बोर्ड के मुख्यालय को सूचित करते हुए उचित क्षेत्र सत्यापन के बाद, ऊपर क्रम सं. 3(यदि कोई हो) के तहत बताए गए मामलों के लिए मांगी गई छूट जारी करने के लिए अधिकृत हैं। ऐसी छूट जारी करते समय, अधिकारी छंटाई की प्रथाओं, सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता, समय से पूर्व वर्षा को ध्यान में रखेंगे जिससे जल्दी फ्लशिंग हो सकती है और फ्लशिंग पैटर्न जिसमें बनी हुई चाय की छंटाई में विलंब के लिए वैध कारण शामिल हैं।

5. किसी भी रियायत अनुरोध का निपटान, प्राप्ति की तिथि से 5 कार्य दिवसों के भीतर किया जाएगा।

उपाध्यक्ष,
टी बोर्ड एवं पंजीकरण प्राधिकारी

वितरण:

1. संबंधित क्षेत्र के सभी चाय उत्पादक संघ।
2. संबंधित क्षेत्र के सभी पत्ती क्रय चाय उत्पादक संघ।
3. संबंधित क्षेत्र के सभी लघु चाय उत्पादक संघ।
4. संबंधित क्षेत्र में स्थित टी बोर्ड के सभी क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय...सभी चाय निर्माताओं, चाय संघों, जिला हरी पत्ती मूल्य निगरानी समिति के बीच परिचालन एवं आदेश के अनुपालन हेतु आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई।